न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/100/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/175

अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट
कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301701

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 06.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **04.07.2022**

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 28.04.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी के अधीन कार्यरत स्टाफ की सूची, स्टाफ द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों संबंधी आदेश प्रति व प्रत्यर्थी के न्यायालय अंतर्गत राजस्व वाद, प्रार्थना–पत्र 212 व अन्यादि रजिस्टर्स व उनके गौशवारा संबंधी प्रमाणित प्रति इत्यादि 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलानुसार उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 516 दिनांकः 10.06.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 28.04.2022 जो कि उनके कार्यालय को दिनांकः 04.05.2022 को प्राप्त हुआ, के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. लो.सू.अ./2022/478 दिनांकः 19.05.2022 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
7. सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 01 व 02 के क्रम में वांछित आदेशादि की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष बिन्दु सं. 03 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना के लिए 90 पृष्ठ हेतु राशि रू. 02/–प्रति पेज कुल राशि रू. 180/– जमा राजकोष कराने हेतु लिखा गया है। उक्त राशि जमा राजकोष के अभाव में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है।
8. अतः अपील, अपीलार्थी अ**स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है तथापि लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना आवेदन दिनांकः 28.04.2022 के बिन्दु सं. 03 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराये जाने पर अविलम्ब सूचना अधिप्रमाणित कर उपलब्ध करावें।
9. आज दिनांकः 04.07.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)